प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –1259 / 2021
अनवान : –

1. भंवरी पत्नी गोरधन जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।

– **वादीया**

बनाम्

1. महेन्द्रसिंह पुत्र गोरधन जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 30.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 21 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 25 / 30 की कुल 5.3130 हैक्ट भूमि में से 349 / 525 एवं रोही मौजा 25 जेएसएन के खाता स0 20 / 22 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वाद भूमि पूर्व में वादीया के ससूर गणपतसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। उक्त वाद भूमि बाधो जोजा गणपतसिंह के नाम विरासतन दर्ज हुई तथा प्रतिवादी स0 1 ने अपनी दादी बाधों से समस्त भूमि की वसीयत अपने पक्ष में करवा ली तथा वादीया के हक को हड़पने के नियम से अपने आप को वादीया के ससुर का इकलौता वारिस बताकर अकेले के नाम करवा ली जबकि उक्त भूमि में वादीया का भी हक हिस्सा है जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने की अधिकारी है।

वादीया के पास जीवन यापन का कोई आधार नही है तथा उक्त भूमि वादीया के ही कब्जा काश्त में चली आ रही है। प्रतिवादी स0 1 ने फर्जी वसीयत के आधार पर उक्त भूमि अपने नाम करवा ली है जबकि प्रतिवादी ने अपने पिता के जीवन में ही अपने हिस्से की भूमि की समस्त रकम अपने पिता से ले ली थी तथा यह लिखकर दे दिया था की इस भूमि में मेरा कोई हक हिस्सा नही है, समस्त भूमि की हकदार मेरी माता भंवरी होगी इसलिए प्रतिवादी स0 1 का इस भूमि मे कोई हिस्सा शेष नही है। इसलिए जमाबंदी दूरूस्त की जाकर महेन्द्रसिंह पुत्र गोरधन का नाम कलमजन किया जाकर दोनों खातों की समस्त भूमि वादीया के नाम दर्ज की जावें यही बिनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादीग स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो [illegible] तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश [illegible] है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया [illegible] कर प्रतिवादीगण को [illegible] किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीया डिक्री फरमाया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी स0 2 के द्वारा जवाब पेश किया जो की शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता वादी ने आदेश 6 नियम 17 इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 21 जेएसएन के खाता स0 25/30 की 5.3110 हैक्ट भूमि में से बेचान करने के बाद शेष भूमि 3.5420 हैक्ट भूमि वादीया के नाम दर्ज की जावें। इसी अनुसार दावा में संशोधन किया जावें। जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादीगण को एतराज नही होने के कारण स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ने वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा 21 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 25/30 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जो की पूर्व में प्रतिवादी स0 1 के दादा के नाम दर्ज थी। प्रतिवादी स0 1 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादीया मुताबिक अनतोष डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी स0 1 को कोई एतराज नही है। अतः वादीया के वाद को प्रतिवादी स0 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीया प्रतिवादी की सहमति एवं वादीया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 21 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 25/30 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:22 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–सोनड़ी

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –1259/2021
अनवान : –

1. भंवरी पत्नी गोरधन जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. महेन्द्रसिंह पुत्र गोरधन जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1259 सन 2021 निर्णय दिनांक 30.05.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 21 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 25/30 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–सोनड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:22 IST
Reason: SelfAttested